

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या:01-परीक्षा/2021

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-Preliminary Eligibility Test) - 2021

ऑनलाइन आवेदन / रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि-25-05-2021

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि -25-05-2021

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन / ऑनलाइन शुल्क / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि -21-06-2021

आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 28-06-2021

विशेष कथन- उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21-06-2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21-06-2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अन्दर अर्थात् 28-06-2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered Mobile Number, Email, कैटेगरी को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3- के शासनादेश संख्या- 1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक-20 नवम्बर, 2020 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णयके क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह-‘ग’ के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किये जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किये जा चुके हैं, उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्बन्धित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियानुसार ही होगी।

1. **ऑनलाइन आवेदन-** अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-Preliminary Eligibility Test) हेतु आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या- 76/13/चार(परीक्षा-2)/आयोग/2020/2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 के अन्तर्गत यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारम्भिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एकवारगी पंजीकरण

किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के लिए समाप्त कर दी गई है।

2. **ऑनलाइन आवेदन की अवधि-** ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर दिनांक-25मई, 2021 से दिनांक- 21 जून 2021 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। उक्त अवधि के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. **प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार (लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण) के अनुसार मेरिटवार शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के परिणाम/स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
4. **आयोग की परिधि में आने वाले पद-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम- 2014 की धारा-2 में उल्लेख है कि उपबन्ध समूह "ख" से निम्न समूह "ग" के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होंगे। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-91/2812/47-का-3-14-3/7/2006, दिनांक-15 दिसम्बर, 2014 में अधिसूचना संख्या- 1529/79वि.-1-14-1(का)10/2014, दिनांक-04.12.2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2014) की धारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वेतन बैंड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0-1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम/स्कोर प्रभावी होगा।

5. **शैक्षिक अर्हता-प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा** में हाईस्कूल/समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाईस्कूल/समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गयी है, वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के उपरान्त विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवानियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों, जिन्होंने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET- Preliminary Eligibility Test)की परीक्षा दी हो, के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET- Preliminary Eligibility Test) के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा/ कौशल परीक्षा/शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा।

नोट- हाईस्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है, तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा/कौशल परीक्षा/शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी।

6. **आयु सीमा-** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न-भिन्न (18 वर्ष/21वर्ष) होती है। अधिकतम आयु सीमा- उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियममावली-2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। अर्थात् उसका जन्म 01 जुलाई, 1981 से पूर्व तथा 30, जून 2003 के बाद न हुआ हो। अर्थात् केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून, 1981 के बाद एवं 01 जुलाई, 2003 से पहले हुआ हो।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार आरक्षित/विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गिकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2021 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। समाज के दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक

3 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवानियमावली के अनुसार न्यूनतम/अधिकतम आयु अनुमन्य होगी। अद्यतन स्थिति के अनुसार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग को 05 वर्ष, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ीको 05 वर्ष, विकलांगों को 15 वर्ष एवं भूतपूर्व सैनिक को 03 वर्ष की उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

7. **आरक्षण-** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम/शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत् (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं क्षैतिज आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला) अनुमन्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शार्टलिस्टिंग की जायेगी।
8. **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-**प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20.02.2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अन्त में पुनः संलग्न किया जा रहा है।

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है । यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो Normalization की प्रक्रिया लागू होगी । Normalization की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या- 42/05/विज्ञा०अनु०(व्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019, द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

9. **परीक्षा की तिथि-**प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जायेगा
10. **स्कोर-** प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक मान्य होगा।

आवेदन कैसे करें

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें-

(अ)- आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है-

- 1- कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
- 2- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload) करना
- 3- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
- 4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)
- 5- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर “ऑल नोटिफिकेशन/ एडवर्टिजमेंट डिटेल्स” (all notification/advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट (विज्ञापन) स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भाँति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित योग्यता, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा (18 वर्ष/21 वर्ष से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instructions अवश्य पढ़ें:-

आवेदन की प्रक्रिया –(User Instructions)

भाग-1- कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

- I. इस भाग में अभ्यर्थी को अपने से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भरना होगा। प्रत्येक फील्ड के लिए सूचना भरने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। अभ्यर्थी इन निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।
- II. Registration पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे -नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, इमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
- III. वेब पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर “रजिस्ट्रेशन स्लिप” प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट न कर सका हो तो वह बाद में भी वेबसाइट के Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत “Print

Duplicate Registration Slip” बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट कर सकता है।

भाग-2-फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- I. चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिये।
- II. ठुंडी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III. चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV. चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V. कैमरे पर नजर सीधी हो।
- VI. अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुंह बन्द)।
- VII. सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII. फोटो का आकार 35 मिमी(1.4इंच)x45मिमी(1.75 इंच) का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
- IX. फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी अपना 3.5cm चौड़ा व 4.5cm लंबा रंगीन फोटोग्राफ *.jpe, *.jpeg, *.jpg,*
प्रारूप में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05Kb तथा अधिकतम आकार 30Kb से कम होना चाहिए।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5cm चौड़ा हिन्दी/अंग्रेजी में होना चाहिए।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिन्दी में अपना नाम लिखेंगे।

अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद “Continue” बटन को क्लिक करते ही दूसरे पृष्ठ पर चले जायेंगे।

भाग -3फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

अधिमान्नी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थाई व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा।
इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।

अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन के समय पूरणीय समस्त स्तम्भों की पूरित प्रविष्टियों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जासकेगा। यदि पूरित आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते हैं तो "बैक" बटन को क्लिक कर प्रविष्ट विवरणों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की पूरित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो सबमिट बटन को क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित करेंगे।

नोट – यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है और इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

भाग4--फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit ApplicationForm)

- (I) अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ईचालान- के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इसपर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ **Proceed To Download and print The Application Form** बटन को क्लिक कर अपना फार्म अन्तिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।
- (II) ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI के किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।
- (III) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकता है।
- (IV) अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेगा और न ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा।

(V) शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।

विशेष नोट- अभ्यर्थियों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों का आवेदन तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनके द्वारा शुल्क भुगतान की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है।

(VI) आवेदन शुल्क - ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग-4 में उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है-

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
(5)	विकलांगजन हेतु	-----	25.00	25.00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

भाग-5 - फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उस एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट Applicant Segment में Know Your Status के अंतर्गत Print Detailed Application Form बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिन्टआउट नहीं निकाल पा रहा है तो अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर

प्रत्येक दशा में अवश्य प्रिंट कर ले । उसके बाद अर्थात् एक सप्ताह के बाद Printout नहीं ले सकेगा ।

नोट-अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें ।

2 -आवेदन पत्र में संशोधन

- (I) अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद केवल एक बार ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Modify Submitted Application** पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP(One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email, कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है ।
- (II) अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।
- (III) आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात् 28- 06-2021 तक ही अनुमन्य है ।

3-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 3.1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 3.2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिकलाभकारी होगी, अनुमन्य होगी ।
- 3.3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित,भूतपूर्व सैनिक को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे ।
- 3.4- उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे।
- 3.5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वहस्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो,को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा ।
- 3.6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

- 3.7- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप हो।
- 3.8- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय जाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- 3.9- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय आयोग को यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।
- 3.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 3.11- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 3.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र०स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
- 3.14- महिला आरक्षण के अंतर्गत रिक्त दर्शाये गए पदों पर महिलाओं को कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक- 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 3.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन

करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रूपए 08 लाख से कम है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.Ss) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासनकी अधिसूचनासंख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूराकरते हैं, तो उन्हें 10% आरक्षण (E.W.Ss) अनुमन्य होगा।

- 3.16 - किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 3.17- ऑनलाइन आवेदनन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन, में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर के अनुरूप फोटो अपलोड न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर न भरें और न ही गलत फोटो अपलोड करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें।
- 3.18- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 3.19- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 3.20- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 3.21- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिकअर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 3.22- इस विज्ञापन के बिन्दु 1-के भाग 2-में उल्लिखित निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर इस विज्ञापन में निर्दिष्ट भांति से स्पष्ट हस्ताक्षर न करने/ स्वयं की हस्तलिपि में अपना नाम न लिखने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 3.23- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक

स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 3.24- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित(DEBAR)किया जा सकता है।
- 3.25- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 3.26- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन कासावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 3.27- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 3.28- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> के Homepage पर उपलब्ध FAQ के माध्यम से अपनी कठिनाईसमस्या का हल प्राप्त / कर सकते हैं।
- 3.29- अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही "सबमिट"स्वीकार होगाशेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। ,
- 3.30- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क/ परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट"किए जाने की अंतिम तिथि 21-06-2021 है।
- 3.31- उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या- 277/47-का-3-2021-13/07/2020, दिनांक 19.02.2021 द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

24.05.2021
सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

विज्ञापन संख्या-01 परीक्षा/2021 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम

प्रश्नों की संख्या-100

परीक्षा की अवधि-2घंटा
पूर्णांक-100

क्र 0सं0	विषय	अंक
1	भारतीय इतिहास (Indian History) : <ul style="list-style-type: none">• सिन्धु घाटी की सभ्यता• वैदिक संस्कृति• बौद्ध धर्म: गौतम बुद्ध(जीवनी एवं शिक्षायें)• जैन धर्म : महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें)• मौर्य वंश : सम्राट अशोक• गुप्त वंश : समुद्र गुप्त ,चन्द्र गुप्त द्वितीय• हर्षवर्द्धन• राजपूत काल	05

	<ul style="list-style-type: none"> • स्वतंत्रता काल • मुगल साम्राज्य • मराठा • ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम • ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 	
2	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन (Indian National Movement) : <ul style="list-style-type: none"> • स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष • स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन : महात्मा गाँधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका • क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय • विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 • भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिन्द फौज तथा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस 	05
3	भूगोल (Geography) : <ul style="list-style-type: none"> • भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल <ul style="list-style-type: none"> ○ नदियां तथा नदियों की घाटी ○ भूजल संसाधन ○ पर्वत ,पहाड़ियां तथा हिमनद ○ मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र ○ वन ○ खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में) • भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल • जलवायु तथा मौसम • टाइम जोन • जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास 	05
4	भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) : <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय अर्थव्यवस्था (1947 से 1991 तक) <ul style="list-style-type: none"> ○ योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं ○ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ○ हरित क्रांति ○ दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड ○ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार • वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था • वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार <ul style="list-style-type: none"> ○ कृषि सुधार ○ डांचागत सुधार ○ श्रम-सुधार 	05

	<ul style="list-style-type: none"> ○ आर्थिक मुद्दाएँ ○ जी०एम०सी० 	
5	<p>भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय संविधान <ul style="list-style-type: none"> ○ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ ○ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ○ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ○ संसदीय प्रणाली ○ संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ○ न्यायिक ढाँचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय • जिला प्रशासन • स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ 	05
6	<p>सामान्य विज्ञान (General Science) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान • प्रारम्भिक रसायन विज्ञान • प्रारम्भिक जीव विज्ञान 	05
7	<p>प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव • प्रतिशतता • साधारण अंकगणितीय भर्षीकरण • वर्ग एवं वर्गमूल • घातांक एवं घात • औसत 	05
8	<p>सामान्य हिन्दी (General Hindi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • संधि • विलोम शब्द • पर्यायवाची शब्द • वाक्यांशों के लिए एक शब्द • लिंग • समश्रुत भिन्नार्थक शब्द • मुहावरे-लोकोत्तियाँ • सामान्य अशुद्धियाँ • लेखक और रचनाएँ (गद्य एवं पद्य) 	05

9	<p>सामान्य अंग्रेजी (General English) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • अंग्रेजी व्याकरण • अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 	05
10	<p>तर्क एवं तर्कशक्ति (Logic & Reasoning) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • वृत्त एवं लघु • क्रम एवं रैंकिंग • संबंध • समूह में भिन्न को अलग करना • कैलेंडर एवं घड़ी • कारण और प्रभाव • कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर) • निगमनानुक्रमक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय 	05
11	<p>सामयिकी (Current Affairs) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारतीय एवं वैश्विक 	10
12	<p>सामान्य जागरूकता (General Awareness)</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत के पड़ोसी देश • देश, राजधानी एवं मुद्रा • भारत के राज्य तथा केन्द्र शामिल प्रदेश • भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान सभा, विधान परिषद • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस • विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय • भारतीय पर्यटन स्थल • भारत की कला एवं संस्कृति • भारत एवं विश्व के खेल • भारतीय अनुसंधान संगठन • प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक • पुरस्कार एवं विजेता • जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण 	10
13	<p>अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण- 02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न) :</p>	10

14	<p>ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 ग्राफ</p> <p>(प्रत्येक पर 05 प्रश्न) :</p>	10
15	<p>तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 तालिकाएं</p> <p>(प्रत्येक पर 05 प्रश्न) :</p>	10

शर्तें-

- 1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) : 1. राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित मेकेन्ड्री/सीनियर मेकेन्ड्री स्तर का होगा।
- 2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।
- 3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $\frac{1}{4}$ अंक की कटौती की जाएगी।

SB

24-05-2021

